कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश
चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

संस्थागत प्राथमिकता सीटों के अंतर्गत प्रवेश

(Admission for Institutional Preference Seats)

सत्र 2018–19

अभ्यर्थियों के लिये निर्देश

बी.ई./बी.आर्किटेक्चर/बी.–डी. फार्मेसी पाठ्यक्रमों के लिये

संस्थागत प्राथमिकता सीटों (Institutional Preference Seats) के लिये काउंसलिंग केवल उन संस्थानों में आयोजित होगी जिन्होंने इन सीटों के लिये सहमति पत्र के साथ निर्धारित तिथि तक आवेदन किया था। संस्थागत प्राथमिकता सीटों के अंतर्गत एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थानों तक ही प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी तथा इन सीटों पर प्रवेश पश्चात् संस्था द्वारा घोषित वार्षिक शिक्षण शुल्क ही लिया जावेगा **(संस्थागत प्राथमिकता सीटों के लिये उपलब्ध संस्थानों की सूची एवं उनके द्वारा इन सीटों पर प्रवेशित अभ्यर्थियों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है)**

इन सीटों पर प्रवेश की कार्यवाही निम्नानुसार सम्पादित होगी:–

1. संबधित पाठ्यक्रमों की नियम पुस्तिका में उल्लेखित प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार निर्धारित आर्हता पूरी करने वाले अभ्यर्थी ही इस काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।
2. बी.ई. पाठ्यक्रमों के लिये सर्वप्रथम जेईई मेन 2018 प्रवेश परीक्षाओं की मेरिट के आधार पर, तत्पश्चात् स्थान रिक्त रहने की दशा में अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
3. फार्मेसी (बी./डी.) पाठ्यक्रमों के लिये अर्हकारी परीक्षा के प्राप्त अकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
4. बी.आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम के लिये आर्किटेक्चर की परिषद **(Council of Architecture)** द्वारा आयोजित परीक्षा नाटा–2018 में **Qualified Score Card** प्राप्त हुआ ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश हेतु कांउसलिंग प्रकिया में भाग ले सकते हैं। प्रवेश परीक्षा नाटा उत्तीर्ण (Qualified) अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने पर प्रवेश परीक्षा नाटा के स्थान पर जेईमेन्स–2018 पेपर–2 (Aptitude Test in Architecture) को मान्य किया जायेगा।
5. इन सीटों को ''**केन्द्रीयकृत काउंसलिंग के चरणों**'' के पश्चात् भरने की अनुमति होगी।
6. यदि संबंधित संस्था इन स्थानों पर प्रवेश नहीं कर पाती है अथवा इन सीटों पर आंशिक रूप से प्रवेश करती है, तो ये सीटें रिक्त रहेंगी एवं इन्हें परामर्श (काउंसलिंग) के किसी भी चरण में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
7. इस प्रवर्ग के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा।
8. किसी संस्था अथवा अभ्यर्थी द्वारा मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है अथवा दिया गया है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा समस्त ऐसे प्रवेश निरस्त किये जायेंगे तथा ये स्थान रिक्त रहेंगे।

9. अध्यक्ष काउंसलिंग समिति मध्यप्रदेश द्वारा, संस्थागत प्राथमिकता सीटों पर संस्थाओं द्वारा काउंसलिंग करने के लिये जारी सूचना में घोषित दिनांकों के मध्य काउंसलिंग आयोजित करना होगी।

10. काउंसलिंग करने के पूर्व संबंधित संस्थाऐं काउंसलिंग की दिनांक एवं समय का समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करेंगी जिसमें ब्रांचवार उपलब्ध स्थानों का उल्लेख करना आवश्यक है एवं काउंसलिंग की वेबसाइट www.dte.mponline.gov.in पर काउंसलिंग आयोजित करने की दिनांक से कम से कम एक दिन पूर्व काउंसलिंग आयोजित करने की दिनांक दर्ज करेंगी।

संस्थागत प्राथमिकता सीटों के लिये
ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग हेतु प्रमुख स्टेप

(1)	ऑनलाइन पंजीयन **(Online Registration)**

(2)	दस्तावेजों का सत्यापन **(Documents Verification)**

(3)	इच्छित संस्था में प्रवेश के लिए उपस्थिति एवं आवंटन होने पर संस्था में प्रवेश **(Presence at desired Institute & if allotment is made than admission in the Institute)**

1. ऑनलाइन पंजीयन (Online Registration)

समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को संस्थागत प्राथमिकता सीटों की काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये सभी अभ्यर्थी वेबसाइट www.dtempcounselling.org या dte.mponline.gov.in पर ऑनलाइन पंजीयन करवाएंगे। ऑनलाइन पंजीयन हेतु समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये पंजीयन शुल्क रु 2500/– (पोर्टल चार्जेस ₹30/– सहित) देय होगा जोकि अप्रतिदेय (Non Refundable) है। ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी निम्नलिखित माध्यमों से सम्मिलित हो सकते हैं:–

सारणी क्रमांक 1
इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन काउंसलिंग में सम्मिलित होने के विकल्प

- निवास में इंटरनेट की सुविधा होने पर अपने निवास से।
- अधिकृत सहायता केन्द्रों (Help Centres) (जोकि मध्यप्रदेश के शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त पोलीटेक्निक महाविद्यालय/महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय/राज्य के स्वशासी एवं अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय हैं) की जिसकी सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- अभ्यर्थी के शहर/गॉव में स्थित इंटरनेट सुविधा के माध्यम से।

पंजीयन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी–

- अभ्यर्थी वेबसाइट www.dtempcounselling.org अथवा dte.mponline.gov.in में उपलब्ध संबंधित पाठ्यक्रम पर क्लिक करें तथा संस्थागत प्राथमिकता सीटों पर प्रवेश हेतु Registration करावें
- ऑनलाइन काउंसलिंग में संस्थागत प्राथमिकता सीटों की काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये अभ्यर्थी को कुछ महत्वपूर्ण डाटा पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवश्यक होगा, यथाः–
    - प्रवेश परीक्षा का रोल नंबर (प्रवेश परीक्षा के आधार पर सम्मिलित होने पर)
    - जन्म तिथि
    - अर्हकारी परीक्षा (अर्थात 10वीं/12वीं की परीक्षा) का रोल नंबर
    - अर्हकारी परीक्षा के पूर्णांक तथा प्राप्तांक (ग्रेड सिस्टम में उत्तीर्ण होने की दशा में संबिधत बोर्ड/विश्वविद्यालय के नियमानुसार ग्रेड से प्रतिशत में अकों को बदलना आवश्यक है। यदि अंकसूची में ग्रेड से प्रतिशत में अंकों को बदलने की पद्धति न दी हुई हो तो ग्रेड से प्रतिशत में अकों को बदलने के लिए बोर्ड/विश्वविद्यालय का प्रमाणित फार्मूला अभ्यर्थी अवश्य प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही करें तथा सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करें)
    - अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम
    - अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष
    - मोबाईल नंबर
    - ई–मेल आईडी
    - अन्य कोई विवरण जो मांगा जाये
- पंजीयन शुल्क का भुगतान के लिये निम्नलिखित सारणी में दिये गये विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का उपयोग किया जा सकता हैः–

सारणी क्रमांक 2 शुल्क भुगतान करने के विकल्प
➢ इंटरनेट बैंकिंग
➢ एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड/ई–वालेट
➢ सभी अधिकृत शासकीय सहायता केन्द्रों (काउंसलिंग प्राधिकारी द्वारा अधिकृत) पर नगद भुगतान
➢ एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर

2. दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification)

अधिकृत सहायता केन्द्रों से दस्तावेजों का सत्यापनः–

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पंजीयन सह–दस्तावेज सत्यापन (e-verified) की पर्ची प्राप्त हुई है उन्हें अधिकृत सहायता केन्द्रों से सत्यापन कराने की आवश्यकता नही है।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्ववर्ती चरण में दस्तावेजों का सत्यापन की कार्यवाही अधिकृत सहायता केन्द्र से पूर्ण करवा चुके उन्हें दस्तावेजों का पुनः सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने संस्थागत प्राथमिकता सीटों की काउंसलिंग में प्रवेश के पूर्व दस्तावेजों का सत्यापन नही कराया है। उनके द्वारा पंजीयन के समय उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो अभ्यर्थी का प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती हैं कि प्रवेश से पूर्व अधिकृत सहायता केन्द्रों से दस्तावेजों का सत्यापन अवश्य करवायें।
- ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने प्रवेश के पूर्व दस्तावेजों का सत्यापन नही कराया है, उन्हें संस्थागत प्राथमिकता सीटों की काउंसलिंग में प्रवेश के उपरान्त **दिनांक**

20/08/2018 से 26/08/2018 तक, कार्यालयीन दिवस/समय में अधिकृत सहायता केन्द्रों से दस्तावेजों का सत्यापन करवाना आवश्यक होगा।

- ऐसे अभ्यर्थी जिनका पंजीयन के समय, आधार सत्यापन ओटीपी अथवा बायोमैट्रिक के माध्यम से नही हो सका है उन्हें निकटस्थ अधिकृत सहायता केन्द्र पर उपस्थित होकर आधार सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करना होगा।

अभ्यर्थियों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना है :–

- प्रवेश परीक्षा (जेईई–मेन–2018/नाटा–2018 जो भी लागू हो) की अंकसूची
- अर्हकारी परीक्षा की मूल अंकसूची
- मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोडकर) (OBC) अभ्यर्थियों के लिये अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल जाति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)
- नवीनतम आय प्रमाण–पत्र (परिवार का) सक्षम प्राधिकारी (कलेक्ट्रेट द्वारा अधिकृत) द्वारा जारी मूल प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)
- मध्यप्रदेश के मूल निवासी का मूल प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)।

टीपः–

- यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण दस्तावेजों के सत्यापन के लिये स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है तथा वह चिकित्सालय में भर्ती है, तो उसके संरक्षक/अभिभावक को उसकी ओर से दस्तावेजों के सत्यापन कराने के लिये उपस्थित होने हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी, बशर्ते कि संबंधित अभ्यर्थी बीमारी तथा चिकित्सालय में भर्ती होने के सबूत के रूप में संबंधित सी.एम.ओ./सिविल सर्जन व्दारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र के साथ इस आशय का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करे। यदि बाद में यह पाया जाए कि अभ्यर्थी व्दारा उपलब्ध कराई गई जानकारी गलत थी, तो प्रवेश रद्द किए जाने का दायी होगा।
- मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत वापिस कर दिये जावेंगे।

3. इच्छित संस्था में प्रवेश के लिये उपस्थिति एवं आवंटन होने पर संस्था में प्रवेश (Presence at desired Institute & if allotment is made than admission in the Institute)

संस्थागत प्राथमिकता सीटों के लिये जिस संस्था में प्रवेश लेने का इच्छुक है, उस संस्था द्वारा जारी विज्ञापन अनुसार अपने समस्त मूल प्रमाण–पत्र तथा आवश्यक शुल्क के साथ निर्धारित तिथि को संस्था में उपस्थित होंगे। वेबसाइट www.mponline.gov.in पर भी संस्थागत प्राथमिकता सीटों की काउंसलिंग की तिथि संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

निर्धारित तिथि पर संस्था में उपस्थित अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट अनुसार संस्था द्वारा ऑनलाइन प्रवेश दिया जायेगा।

- अभ्यर्थी, ऑनलाइन प्रवेश के के तुरंत बाद ऑनलाइन प्रवेश पर्ची का प्रिंटआउट प्राप्त करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उस प्रवेश पर्ची में संस्था के अधिकृत अधिकारी तथा अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हों तथा एक प्रिंटआउट संस्था में रिकार्ड हेतु सुरक्षित रहेगा।
- प्रवेश उपरान्त प्रवेशित अभ्यर्थी वेबसाईट पर दिये चैक कैंडिडेट स्टेटस लिंक के माध्यम से स्वयं का प्रवेश संबंधी स्टेट्स अवश्य सुनिश्चित कर लें।
- किसी भी परिस्थिति में मूल प्रमाण–पत्र संस्था में जमा न करें।

काउंसलिंग/प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण वेबसाइटः–

www.dtempcounselling.org **अथवा** www.dte.mponline.gov.in

संस्थाओं की सूची एवं शिक्षण शुल्क

सत्र 2018–19

S.No.	INSTITUTE NAME	Branch	Seats	Annual Tuition Fee in Rupees
Bachelor of Architecture				
1	**IPS ACADEMY, SCHOOL OF ARCHITECTURE, INDORE (MP)**	B.ARCH.	12	1,50,000.00
Bachelor of Engineering				
1	Acropolis Institute of Technology & Research, Indore (2005)	CSE	24	1,50,000.00
2	Global Nature Care Sangathan's Group of Institutions, Jabalpur (2009)	CE	12	1,50,000.00
3	Global Nature Care Sangathan's Group of Institutions, Jabalpur (2009)	CSE	6	1,50,000.00
4	Global Nature Care Sangathan's Group of Institutions, Jabalpur (2009)	EC	12	1,50,000.00
5	Global Nature Care Sangathan's Group of Institutions, Jabalpur (2009)	IT	6	1,50,000.00
6	Global Nature Care Sangathan's Group of Institutions, Jabalpur (2009)	MECH	12	1,50,000.00
7	Gyan Ganga Institute of Technology & Science, Jabalpur (2003)	CE	12	1,50,000.00
8	Gyan Ganga Institute of Technology & Science, Jabalpur (2003)	CSE	18	1,50,000.00
9	Gyan Ganga Institute of Technology & Science, Jabalpur (2003)	ELECT ELEX	6	1,50,000.00
10	Gyan Ganga Institute of Technology & Science, Jabalpur (2003)	EE	6	1,50,000.00
11	Gyan Ganga Institute of Technology & Science, Jabalpur (2003)	EC	18	1,50,000.00
12	Gyan Ganga Institute of Technology & Science, Jabalpur (2003)	IT	6	1,50,000.00
13	Gyan Ganga Institute of Technology & Science, Jabalpur (2003)	MECH	18	1,50,000.00
14	IPS Academy, Institute of Engineering and Science, Indore (1999)	CHEM	6	1,50,000.00
15	IPS Academy, Institute of Engineering and Science, Indore (1999)	CE	12	1,50,000.00
16	IPS Academy, Institute of Engineering and Science, Indore (1999)	CSE	18	1,50,000.00
17	IPS Academy, Institute of Engineering and Science, Indore (1999)	ELECT ELEX	12	1,50,000.00
18	IPS Academy, Institute of Engineering and Science, Indore (1999)	EC	12	1,50,000.00
19	IPS Academy, Institute of Engineering and Science, Indore (1999)	FTS	12	1,50,000.00
20	IPS Academy, Institute of Engineering and Science, Indore (1999)	MECH	12	1,50,000.00
21	Lakshmi Narain College of Technology & Science, Bhopal (2006)	CSE	18	1,50,000.00

22	Lakshmi Narain College of Technology Excellence, Bhopal (2007)	CSE	18	1,50,000.00
23	Lakshmi Narain College of Technology, Bhopal (1994)	CE	12	1,50,000.00
24	Lakshmi Narain College of Technology, Bhopal (1994)	CSE	18	1,50,000.00
25	Lakshmi Narain College of Technology, Bhopal (1994)	ELECT ELEX	18	1,50,000.00
26	Lakshmi Narain College of Technology, Bhopal (1994)	EE	12	1,50,000.00
27	Lakshmi Narain College of Technology, Bhopal (1994)	EC	18	1,50,000.00
28	Lakshmi Narain College of Technology, Bhopal (1994)	IT	12	1,50,000.00
29	Lakshmi Narain College of Technology, Bhopal (1994)	MECH	18	1,50,000.00
30	NRI Institute of Information Science & Technology, Bhopal (2001)	CE	12	1,00,000.00
31	NRI Institute of Information Science & Technology, Bhopal (2001)	CSE	12	1,00,000.00
32	NRI Institute of Information Science & Technology, Bhopal (2001)	ELECT ELEX	12	1,00,000.00
33	NRI Institute of Information Science & Technology, Bhopal (2001)	EC	12	1,00,000.00
34	NRI Institute of Information Science & Technology, Bhopal (2001)	IT	6	1,00,000.00
35	NRI Institute of Information Science & Technology, Bhopal (2001)	MECH	18	1,00,000.00
36	Oriental College of Technology, Bhopal (2002)	CSE	12	1,50,000.00
37	Oriental Institute of Science & Technology, Bhopal (1995)	CSE	12	1,50,000.00
38	Oriental Institute of Science & Technology, Bhopal (1995)	IT	12	1,50,000.00
39	Sagar Institute of Research & Technology, Bhopal (2003)	CE	12	1,50,000.00
40	Sagar Institute of Research & Technology, Bhopal (2003)	CSE	18	1,50,000.00
41	Sagar Institute of Research & Technology, Bhopal (2003)	ELECT ELEX	6	1,50,000.00
42	Sagar Institute of Research & Technology, Bhopal (2003)	EC	18	1,50,000.00
43	Sagar Institute of Research & Technology, Bhopal (2003)	IT	6	1,50,000.00
44	Sagar Institute of Research & Technology, Bhopal (2003)	MECH	12	1,50,000.00
45	Sagar Institute of Research Technology & Science, Bhopal (2007)	CSE	12	1,50,000.00
46	Shri Ram Institute of Science & Technology, Jabalpur (2007)	CE	12	1,50,000.00
47	Shri Ram Institute of Science & Technology, Jabalpur (2007)	CSE	12	1,50,000.00
48	Shri Ram Institute of Science & Technology, Jabalpur (2007)	EC	12	1,50,000.00
49	Shri Ram Institute of Science & Technology, Jabalpur (2007)	MECH	12	1,50,000.00
50	Shri Ram Institute of Technology, Jabalpur (2001)	CE	12	1,50,000.00
51	Shri Ram Institute of Technology, Jabalpur (2001)	CSE	12	1,50,000.00
52	Shri Ram Institute of Technology, Jabalpur (2001)	ELECT ELEX	3	1,50,000.00

53	Shri Ram Institute of Technology, Jabalpur (2001)	EE	6	1,50,000.00
54	Shri Ram Institute of Technology, Jabalpur (2001)	EC	12	1,50,000.00
55	Shri Ram Institute of Technology, Jabalpur (2001)	IT	3	1,50,000.00
56	Shri Ram Institute of Technology, Jabalpur (2001)	MECH	12	1,50,000.00
57	Technocrats Institute of Technology, Bhopal (2000)	CSE	12	1,50,000.00
58	Truba College of Science & Technology, Bhopal (2009)	CE	9	1,00,000.00
59	Truba College of Science & Technology, Bhopal (2009)	CSE	12	1,00,000.00
60	Truba College of Science & Technology, Bhopal (2009)	EC	3	1,00,000.00
61	Truba College of Science & Technology, Bhopal (2009)	MECH	12	1,00,000.00
62	Truba Institute of Engineering & Information Technology, Bhopal (2001)	CE	12	1,00,000.00
63	Truba Institute of Engineering & Information Technology, Bhopal (2001)	CSE	18	1,00,000.00
64	Truba Institute of Engineering & Information Technology, Bhopal (2001)	ELECT ELEX	6	1,00,000.00
65	Truba Institute of Engineering & Information Technology, Bhopal (2001)	EC	9	1,00,000.00
66	Truba Institute of Engineering & Information Technology, Bhopal (2001)	MECH	12	1,00,000.00
Bachelor of Pharmacy				
1	Acropolis Institute of Pharmaceutical Education and Research, Indore	B.Pharma	6	1,50,000.00
2	Lakshmi Narain College of Pharmacy, Bhopal	B.Pharma	10	1,50,000.00
3	NRI Institute of Pharmaceutical Sciences, Bhopal	B.Pharma	10	1,00,000.00
4	NRI Institute of Pharmacy, Bhopal	B.Pharma	9	1,00,000.00
5	Sagar Institute of Research & Technology - Pharmacy, Bhopal	B.Pharma	10	1,50,000.00
6	Sagar Institute of Research, Technology and Science - Pharmacy, Bhopal	B.Pharma	6	1,50,000.00
7	Shri Ram Institute of Pharmacy, Jabalpur	B.Pharma	6	1,50,000.00
8	Shri Ram Institute of Technology Pharmacy, Jabalpur	B.Pharma	6	1,50,000.00
9	Swami Vivekanand College of Pharmacy, Indore	B.Pharma	10	1,25,000.00
10	Truba Institute of Pharmacy, Bhopal	B.Pharma	10	1,00,000.00
Diploma of Pharmacy				
1	NRI Institute of Pharmaceutical Sciences, Bhopal	D.Pharma	6	1,00,000.00
2	Shri Ram Institute of Technology. Diploma in Pharmacy, Jabalpur	D.Pharma	6	1,50,000.00
3	Shri Ram Pharmacy College Jamthi Betul	D.Pharma	6	1,50,000.00

अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा,
मध्यप्रदेश